रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648] नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2007/ज्येष्ठ 9, 1929

No. 648] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2007/JYAISTHA 9, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2007

(आय-कर)

का. आ. 849(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) और उप-खंड (viक) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये 1 जून, 2007 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 2गक में,—

(i) उप-नियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 3 अप्रैल, 2001 से पूर्व प्राप्त आवेदनों की दशा में, जहां 31 मई, 2007 तक आवेदन को अनुमोदित या खारिज करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) और उप-खंड (viक) के अधीन विहित प्राधिकारी मुख्य आयुक्त या महानिदेशक होगा ।"।

(ii) उप-नियम (3) के पश्चात् स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण.**—इस नियम के प्रयोजनों के लिए मुख्य आयुक्त या महानिदेशक से ऐसा मुख्य आयुक्त या महानिदेशक अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) और उप-खंड (viक) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ।"।

(iii) आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट II में प्ररूप संख्या 56घ के टिप्पणों में,—

(क) मद सं. 1 में, "आय-कर आयुक्त या निदेशक की मार्फत मुख्य आयुक्त या निदेशक" शब्दों के स्थान पर "मुख्य आयुक्त या महानिदेशक जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक (छूट) के माध्यम से धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) और उप-खंड (viक) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करें" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) मद सं. 3 में "मुख्य आयुक्त या महानिदेशक" शब्दों के पश्चात् "या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 193/2007/फा. सं. 153/41/2007-टीपीएल]

वंदना रामचंद्रन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 969 तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2007, अधिसूचना सं. का. आ. 762(अ) तारीख 14-05-2007 द्वारा किया गया था ।